GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF FORESTS

No.F.1(27) Forest/2012 Jaipur, dated: 06.03.2014

ORDER

In reference to the clearance issued by MoEF, GoI vide letter No. 8 B/Raj./07/16/2013/F.C./1596 dated 06.02.2014 for the project proponent N.W. Rly. Ajmer for diversion of 5.5282 ha. forest area for Construction of new railway line between Bangar gram to Ras. The State Government hereby accords Approval of Final stage clearance under Section 2 of the Forest (Conservation) Act with the following conditions:-

1. The conditions imposed by MoEF, GoI in their clearance dated 06.02.2014 will be complied by all concerned.
2. This order along with conditions imposed by the Central Government according to stage I and stage II clearance are mandatorily required to be displayed in the website by State Forest Department as well as by MoEF, GoI.
3. The project proponent should publish the entire forest clearanees granted in verbatim along with the conditions and safeguards imposed by the Central Government in Forest Clearance in two widely circulated daily newspapers one in vernacular language and the other in English language so as to make people aware of the permission granted to the project proponent for use of forest land for non-forest purposes.
4. The copies of the Forest clearance should also be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
5. Any other condition as and when imposed by the State Government.

Sd/-
(C.S. Ratnasamy)
Secretary, Forest

Copy to the following for necessary compliance:-

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajasthan, Jaipur.
2. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Kendriya Bhavan, Lucknow.
3. Sr. Assistant Inspector General of Forests, In-charge, Monitoring Cell, Forest Conservation Division, MoEF, Govt. of India, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 510 - with a request to ensure uploading of the order passed by the State Government on the MoEF website.
4. Director, Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment & Forests, New Delhi.
5. Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), Rajasthan, Jaipur - with a request to get the order and clearances uploaded on the State Forest Department website.
6. Chief Conservator of Forests, IT, Aravali Bhawan, JLN Marg, Jaipur - to ensure the uploading of the order and clearances on the State Forest Department website.
7. Concerned Regional Chief Conservator of Forests, Jodhpur.
8. Dy. Conservator of Forests, Pali.
9. Project Proponent Dy. Chief Engineer (Const.) N.W.Rly. Ajmer.

Secretary, Forests

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2324025

पत्र सं0 8 बी/राज0/07/16/2013/एफ.सी. /1596

दिनॉक: 06.02.2014

सेवा में,

प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय : जनपद पाली के अन्तर्गत बांगडग्राम रास के मध्य प्रस्तावित नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु 5.5282 हे0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन बाबत।

सन्दर्भ : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान के पत्रांक एफ 14 ( )2011/एफसीए/प्रमुवसं/417, दिनॉक: 24.01.2014

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान का पत्रांक प01(27)वन/2013, दिनॉक: 03.06.2013 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.11.2013 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमे उल्लिखित शर्तों की अनुपालना प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करना है कि केन्द्र सरकार उद जनपद पाली के अन्तर्गत बांगडग्राम रास के मध्य प्रस्तावित नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु 5.5282 हे0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन एवं 110 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 5.5282 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी 5.5282 हे0 गैर वन भूमि जिसका अमल दरामद वन विभाग, राजस्थान के पक्ष में हो चुका है, इसे आरक्षित वन भूमि के रूप में छः माह में अधिसूचित किया जाएगा एवं एक प्रति अभिलेख हेतु इस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा रेलवे ट्रैक के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानो पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।

4. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात 11.0564 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 कें ओदशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा किया जायेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

8. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

11. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

12. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

13. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वन महानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3. उप वन संरक्षक, पाली, राजस्थान।
4. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), उ0 पू0 रे0, अजमेर, राजस्थान।
5. आदेश पत्रावली ।

07/04/14
(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (के0)

(15)

Seyt

3110/F8/13
12-11-13

कार्यालय वन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी क्रमांक 8080
दिनांक 13/11/13

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2326696

3745
12.11.13

11/11/13

पत्र सं0 8बी/राज0/07/16/2013/एफ.सी./1263

दिनॉक : 01.11.2013

सेवा में,

प्रमुख सचिव, वन,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय : बांगडग्राम रास के मध्य प्रस्तावित नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु जिला– पाली में 5.5282 हे0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन बाबत।

सन्दर्भः शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान का पत्रांक प01(27)वन/2013, दिनॉकः 03.06.2013

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण के अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में प्रकरण को दिनांक– 21.08.2013 को आहूत की गयी राज्य सलाहाकार समूह की बैठक में सम्मिलित करने के उपरान्त मंत्रालय निर्णय हेतु प्रेषित किया गया। मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देष हुआ है, कि केन्द्र सरकार जनपद पाली के अन्तर्गत बांगडग्राम रास के मध्य प्रस्तावित नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु 5.5282 हे0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन एवं 110 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 5.5282 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष मे छः माह में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। इस गैर वन भूमि को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रेलवे ट्रैक के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानो पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं र10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघनस्वरूप प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर अर्थात् 11.0564 हे0 पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशर्न (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं0 एफ0एन0. 5–3/2007/एफ0सी दिनांक 05.02.2009 दिशानिर्देश में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

5. भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007/एफ0सी दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0–1581, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा कराया जाये।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपकम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा करने के उपरान्त ही पावती (रसीद) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित की जाए एवं मदवार जमा की गयी धनराशि का विवरण (एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण, कैचमैन्ट ऐरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (कैट प्लान), मार्ग/प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण, बाउन्ड्री पीलर द्वारा सीमांकन तथा अन्य हेतु जमा धनराशियों का

विवरण) तथा जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति (जिसमें जारी करने वाले बैंक का नाम, शाखा एवं दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित हो) प्रस्तुत की जाएगी तद्पोरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

8. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक– 11-9/98-FC, Dated- 08-07-2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–संदर्भित डिजीटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करें जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (.shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा एवं प्रस्तावित वृक्षों के पातन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वृक्ष का पातन नही किया जाएगा।

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भूसंरक्षण हेतु आवश्यक सुरक्षा उपाय किये जाएंगे।

11. प्रस्तावित भूमि का प्रयोग अन्य प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।

12. रेलवे विभाग द्वारा रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ 2.8 running Km. x 6fit ऊंची पक्की दीवार के निर्माण हेतु वनविभाग के पक्ष में धनराशि जमा की जाएगी।

13. एन0पी0वी0 की धनराशि के समय समय पर हो रहे वृद्धि के भुगतान बाबत राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से अण्डरटेंकिग प्राप्त करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। प्रयोक्ता अभिकरण को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीया,

01/11/13

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अति0 वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स, लोधी, रोड, नई दिल्ली।
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान
3. उप वन संरक्षक, पाली, राजस्थान।
4. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), उ0 पू0 रे0, अजमेर, राजस्थान।
5. आदेश पत्रावली ।

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (के0)